भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

**अतारांकित प्रश्न सं. 2436**

(जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

**राजस्थान में वस्तु और सेवा कर एकत्र करना और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन**

**2436. श्री राहुल कस्वां:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछली तिमाही में राजस्थान में कितना वस्तु और सेवा कर राजस्व एकत्रित हुआ और प्रत्यक्ष कर वृद्धि में राज्य की रैंकिंग क्या है और सरकार द्वारा आईजीएसटी के लंबित निपटान दावों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) पिछले वर्ष तक राजस्थान में अटल पेंशन योजना के अभिदानकर्ताओं की संख्या कितनी थी और उक्त योजना के लिए कितनी केंद्रीय निधि जारी की गई और पेंशन-अंशदान विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या प्रणाली मौजूद है?

**उत्तर**
**वित्त राज्य मंत्री**
**(श्री पंकज चौधरी)**

(क)**:** राजस्थान में वर्ष 2025 की अंतिम तिमाही में एकत्रित किया हुआ जीएसटी राजस्व :-

(करोड़ रुपये में)

| **माह** | **सीजीएसटी** | **एसजीएसटी** | **आईजीएसटी** |
|---|---|---|---|
| **जुलाई** 25 | 1,220 | 1,581 | 1,604 |
| **अगस्त** 25 | 1,123 | 1,480 | 1619 |
| **सितंबर** 25 | 1,133 | 1,457 | 1,576 |

वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि के आधार पर, वित्त वर्ष 2023-24 में 29 राज्यों में से राजस्थान 12वें स्थान पर है।

एकत्रित वस्तु एवं सेवा कर के निपटारे से संबंधित कोई दावा लंबित नहीं है। जीएसटी संग्रहण में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी शामिल होते हैं। सीजीएसटी को भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाता है, जबकि एसजीएसटी को संबंधित राज्यों की संचित निधि में जमा किया जाता है। आईजीएसटी की वसूली और संग्रहण केन्द्र द्वारा किया जाता है। एकत्रित आईजीएसटी (घरेलू + आयात) को उपभोग के स्थान तथा आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के पारस्परिक समायोजन के आधार पर, वस्तु एवं सेवा कर निधि निपटान नियम , 2017 के प्रावधानों के अनुसार, मासिक आधार पर (प्रत्येक माह के अंत तक) केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विभाजित/समायोजित किया जाता है।

(ख): दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक राजस्थान में अटल पेंशन योजना के अभिदानकर्ताओं की संख्या 38,28,952 है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन एवं सह-अंशदान से संबंधित निधियाँ सीधे बैंकों को जारी की जाती हैं। अतः राजस्थान राज्य के लिए केंद्रीय निधियों के जारी होने से संबंधित विशिष्ट आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत, अभिदानकर्ता द्वारा चुनी गई पेंशन राशि तथा सदस्य की आयु के आधार पर, योजना में नामांकन के समय ही मासिक/तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक योगदान राशि निर्धारित हो जाती है, जिसे अभिदानकर्ता के बैंक खाते से स्वतः डेबिट किया जाता है।

अटल पेंशन योजना का योगदान राशि के चार्ट अनुलग्नक 'क' में संलग्न है।

*****

**विभिन्न न्यूनतम गारंटी की पेंशन राशियों के लिए निर्धारित अलग-अलग प्रवेश आयु पर एपीवाई के अंतर्गत मासिक, त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक अंशदान, तथा नामांकित व्यक्ति को लौटाई जाने वाली संचित कोषराशि ।**

| | | प्रति माह **1000 रु की न्यूनतम गारंटी पेंशन** | | | प्रति माह **2000 रु की न्यूनतम गारंटी पेंशन** | | | प्रति माह **3000 रु की न्यूनतम गारंटी पेंशन** | | | प्रति माह **4000 रु की न्यूनतम गारंटी पेंशन** | | | प्रति माह **5000 रु की न्यूनतम गारंटी पेंशन** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **नामांकित व्यक्ति को लौटाई जाने वाली संचित कोषराशि** | | **1.7 लाख रु.** | | | **3.4 लाख रु.** | | | **5.1 लाख रु.** | | | **लाख रु. 6.8** | | | **8.5 लाख रु.** | | |
| प्रविष्टि आयु | वेस्टिंग अवधि | मासिक योगदान | त्रैमासिक योगदान | अर्ध वार्षिक योगदान | मासिक योगदान | त्रैमासिक योगदान | अर्ध वार्षिक योगदान | मासिक योगदान | त्रैमासिक योगदान | अर्ध वार्षिक योगदान | मासिक योगदान | त्रैमासिक योगदान | अर्ध वार्षिक योगदान | मासिक योगदान | त्रैमासिक योगदान | अर्ध वार्षिक योगदान |
| 18 | 42 | 42 | 125 | 248 | 84 | 250 | 496 | 126 | 376 | 744 | 168 | 501 | 991 | 210 | 626 | 1239 |
| 19 | 41 | 46 | 137 | 271 | 92 | 274 | 543 | 138 | 411 | 814 | 183 | 545 | 1080 | 228 | 679 | 1346 |
| 20 | 40 | 50 | 149 | 295 | 100 | 298 | 590 | 150 | 447 | 885 | 198 | 590 | 1169 | 248 | 739 | 1464 |
| 21 | 39 | 54 | 161 | 319 | 108 | 322 | 637 | 162 | 483 | 956 | 215 | 641 | 1269 | 269 | 802 | 1588 |
| 22 | 38 | 59 | 176 | 348 | 117 | 349 | 690 | 177 | 527 | 1045 | 234 | 697 | 1381 | 292 | 870 | 1723 |
| 23 | 37 | 64 | 191 | 378 | 127 | 378 | 749 | 192 | 572 | 1133 | 254 | 757 | 1499 | 318 | 948 | 1877 |
| 24 | 36 | 70 | 209 | 413 | 139 | 414 | 820 | 208 | 620 | 1228 | 277 | 826 | 1635 | 346 | 1031 | 2042 |
| 25 | 35 | 76 | 226 | 449 | 151 | 450 | 891 | 226 | 674 | 1334 | 301 | 897 | 1776 | 376 | 1121 | 2219 |
| 26 | 34 | 82 | 244 | 484 | 164 | 489 | 968 | 246 | 733 | 1452 | 327 | 975 | 1930 | 409 | 1219 | 2414 |
| 27 | 33 | 90 | 268 | 531 | 178 | 530 | 1050 | 268 | 799 | 1582 | 356 | 1061 | 2101 | 446 | 1329 | 2632 |
| 28 | 32 | 97 | 289 | 572 | 194 | 578 | 1145 | 292 | 870 | 1723 | 388 | 1156 | 2290 | 485 | 1445 | 2862 |
| 29 | 31 | 106 | 316 | 626 | 212 | 632 | 1251 | 318 | 948 | 1877 | 423 | 1261 | 2496 | 529 | 1577 | 3122 |
| 30 | 30 | 116 | 346 | 685 | 231 | 688 | 1363 | 347 | 1034 | 2048 | 462 | 1377 | 2727 | 577 | 1720 | 3405 |
| 31 | 29 | 126 | 376 | 744 | 252 | 751 | 1487 | 379 | 1129 | 2237 | 504 | 1502 | 2974 | 630 | 1878 | 3718 |
| 32 | 28 | 138 | 411 | 814 | 276 | 823 | 1629 | 414 | 1234 | 2443 | 551 | 1642 | 3252 | 689 | 2053 | 4066 |
| 33 | 27 | 151 | 450 | 891 | 302 | 900 | 1782 | 453 | 1350 | 2673 | 602 | 1794 | 3553 | 752 | 2241 | 4438 |
| 34 | 26 | 165 | 492 | 974 | 330 | 983 | 1948 | 495 | 1475 | 2921 | 659 | 1964 | 3889 | 824 | 2456 | 4863 |
| 35 | 25 | 181 | 539 | 1068 | 362 | 1079 | 2136 | 543 | 1618 | 3205 | 722 | 2152 | 4261 | 902 | 2688 | 5323 |
| 36 | 24 | 198 | 590 | 1169 | 396 | 1180 | 2337 | 594 | 1770 | 3506 | 792 | 2360 | 4674 | 990 | 2950 | 5843 |
| 37 | 23 | 218 | 650 | 1287 | 436 | 1299 | 2573 | 654 | 1949 | 3860 | 870 | 2593 | 5134 | 1087 | 3239 | 6415 |
| 38 | 22 | 240 | 715 | 1416 | 480 | 1430 | 2833 | 720 | 2146 | 4249 | 957 | 2852 | 5648 | 1196 | 3564 | 7058 |
| 39 | 21 | 264 | 787 | 1558 | 528 | 1574 | 3116 | 792 | 2360 | 4674 | 1054 | 3141 | 6220 | 1318 | 3928 | 7778 |
| 40 | 20 | 291 | 867 | 1717 | 582 | 1734 | 3435 | 873 | 2602 | 5152 | 1164 | 3469 | 6869 | 1454 | 4333 | 8581 |